PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Haribhumi, Delhi
Wed, 30 Aug 2017, Page 9
Width: 17.85 cms, Height: 12.97 cms, a4, Ref: 58.2017-08-30.95

अंगदान के लिए 'निकट रिश्तेदारों' की परिभाषा को और व्यापक बनाने की योजना

नई दिल्ली। अंगदान का इंतजार करने वाले मरीजों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि सरकार सौतेले माता-पिता, सौतेले भाई-बहन और परिवार के अन्य सदस्यों को 'करीबी रिश्तेदारों' में शामिल करने की योजना बना रही है। मंत्रालय ने करीबी रिश्तेदारों की परिभाषा को अधिक व्यापक बनाने के लिए मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण संशोधन अधिनियम, 1994 (वर्ष 2011 के संशोधित के अनुसार)में संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी कर लोगों से 25 सितंबर तक अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि परिभाषा को और व्यापक बनाये जाने से भारत में जीवित दाताओं की उपलब्धता बढ़ जाएगी। मंत्रालय ने वर्ष 2011 में इस अधिनियम में संशोधन कर दादा, दादी, पोता, पोती को निकट रिश्तेदारों में शामिल किया था।इस बाबत amendmentthotairi@gmail.com पर ईमेल के जरिये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सुझाव भेजा जा सकता है।